

बेलापुर शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

बनाम

केन्द्रीय उत्पाद समाहर्ता, औरंगाबाद

13 अप्रैल, 1999

[ए. पी. मिश्रा और आर. पी. सेठी, न्यायमूर्तिगण]

केन्द्रीय उत्पाद नियम 1944: नियमावली 8 (1) और 9 ए दिनांकित

उत्पाद शुल्क- अधिसूचना संख्या 132/1982 दिनांक 21.4.1982-संशोधन-अनुवर्ती
अधिसूचना संख्या- 193/1982 दिनांकित 11.06.1982-संशोधन का प्रभाव-अधिसूचना की
प्रयोज्यता-चीनी उत्पाद शुल्क में छूट-प्रश्न यह है कि क्या 1 मई, 1982 को शुरू होने वाली
निर्धारित अवधि के दौरान लेकिन 11 जून, 1982 की 193/1982 की संशोधित अधिसूचना
जारी होने की तारीख से पहले अपीलकर्ता द्वारा चीनी का अतिरिक्त उत्पादन, अधिसूचना
संख्या-132 के संदर्भ में शुल्क में कमी का हकदार था, जैसा कि अधिसूचना संख्या-193 द्वारा
प्रतिस्थापित किया गया था। अभिनिर्धारित किया गया-अपीलकर्ता प्रतिस्थापित अधिसूचना संख्या
193/82 दिनांक 11 जून, 1982 के तहत छूट का हकदार है, भले ही 1 मई से 11 जून, 1982
की अवधि तक- अपीलार्थी का मामला अधिसूचना के प्रतिस्थापित पैरा 4 द्वारा आच्छादित
किया गया है- यदि निर्धारिती किसी तरह के छूट का हकदार है तो उसे केवल इस आधार पर
अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वह पहले ही विचाराधीन अवधि के लिए शुल्क का
भुगतान कर चुका है-भले ही शुल्क का भुगतान कानून की अज्ञानता के तहत या किसी और
कारणवश किया गया हो, यदि बाद के कानून या वैध अधिसूचनाओं द्वारा शुल्क भुगतान की

बाध्यता को वापस ले लिया जाता है तब भी इसे मना नहीं किया जा सकता है चूँकि यह पहले ही भुगतान किया जा चुका है ।

वैधानिक व्याख्या-कराधान कानून-अधिसूचना-जब तक कि अधिनियम, नियमावली या अधिसूचना में कुछ भी इसके विपरित न हो, यदि दो संभावित व्याख्यार्थ हो तो यह वह व्याख्या है जो प्रयोजन और उद्देश्य को स्वीकार करती है ।

केन्द्रीय उत्पाद समाहर्ता और अन्य बनाम नियोली चीनी कारखाना और अन्य। [1993] पूरक। 3 एस. सी. सी. 69; साउत् बिहार शुगर मिल्स लिमिटेड आदि बनाम भारत संघ और अन्य। [1968] 3 एस. सी. आर. 21 और भारत संघ बनाम वुड पेपर्स लिमिटेड, (1990) 47 ई. एल. टी. 500 एस. सी., संदर्भित।

सिविल अपीलीय न्यायाधिकार: सिविल अपील सं. 122/1986

ए नं.- ईडी (एसबी) संख्या- 370/1985 डी में सीमा, उत्पाद और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांकित 29.10.1985 के न्याय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से दुष्यंत दवे, श्री नारायण और संदीप नारायण।

अनूप चौधरी, हेमंत शर्मा और पी. परमेश्वरन, उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया:

इस अपील में उठाया गया संक्षिप्त सवाल यह है कि 1 मई, 1982 को शुरू होने वाली निर्धारित अवधि के दौरान, लेकिन 11 जून, 1982 की 193/1982 की संशोधन अधिसूचना जारी होने की तारीख से पहले अपीलकर्ता द्वारा चीनी का अतिरिक्त उत्पादन दिनांक 21 अप्रैल 1982

के अधिसूचना 132/1982 अधिसूचना 193 के द्वारा प्रतिस्थापित के शर्तों के अधीन कटौती का हकदार था।

ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अधिसूचना सं.- 132 के बाद अधिसूचना No.193 द्वारा संशोधन लाया गया जिसके तहत केवल उन लोगों को छूट देने की सीमा को समाप्त कर दिया गया था जिनके पास लगातार तीन पिछले वर्षों से अधिक उत्पादन था, यहां तक कि जिनके पास पिछले तीन वर्षों में शून्य उत्पादन था, वे भी इस तरह की छूट के हकदार हैं। इस मुद्दे को समझने के लिए 21 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना संख्या 132 के प्रासंगिक हिस्से को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह अधिसूचना केंद्रीय उत्पाद नियमावली 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत जारी की गई है जिसे तब करों के अंतिम संग्रहण अधिनियम, 1981 के तहत वित्त विधेयक, 1982 के खंड 50 की उप-धारा (4) के साथ पढ़ा जाता था।

" तालिका (1) चीनी का विवरण: एक कारखाने में उत्पादित चीनी 1 मई, 1982 को शुरू होने वाली और 30 सितंबर, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि, जो पिछले तीन चीनी वर्षों की इसी अवधि के औसत उत्पादन से अधिक है।"

जैसा कि ऊपर कहा गया है । इस अधिसूचना के तहत छूट केवल ऐसे चीनी उत्पादक कारखाने को है जो 1 मई, 1982 से 30 सितंबर, 1982 की अवधि के दौरान पिछले तीन चीनी वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक चीनी का उत्पादन करती है । अधिसूचना के पैरा 4 में ऐसे चीनी कारखानों को इस लाभ से बाहर रखा गया है जिनका उत्पादन उक्त तालिका के कॉलम 1 में उल्लिखित अवधि के दौरान पिछले तीन वर्षों में शून्य था। कंडिका 4 का प्रासंगिक भाग उद्धृत है-

" 4.- इस अधिसूचना में निहित कुछ भी वैसे चीनी कारखाना पर लागू नहीं होगा जहाँ उत्पादन तालिका के कॉलम 1 में उल्लिखित अवधि के दौरान पिछले तीनों वर्षों में शून्य था।"

चूँकि यह अधिसूचना अप्रैल, 1982 में थी, इसलिए निर्धारिती किसी भी छुट केलिए हकदार नहीं था - यह भी विवाद में नहीं है कि इस अवधि के दौरान निर्धारिती ने धारा 3 के संदर्भ में शुल्क का भुगतान किया। यह विवाद 11 जून, 1982 की बाद की अधिसूचना संख्या 193 को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न हुआ है, जो 21 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना के उपरोक्त पैरा 4 को प्रतिस्थापित करती है। प्रासंगिक भाग को यहाँ उद्धृत किया गया है:

"पैराग्राफ 4 के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

" 4. जहां मई से सितंबर के दौरान उत्पादन पिछले सभी तीन चीनी वर्षों में शून्य थे, मई से सितंबर, 1982 की अवधि के दौरान का पूरा उत्पादन इस अधिसूचना के तहत छुट का हकदार होगा।"

इस प्रकार इस प्रतिस्थापन के आधार पर, भले ही पिछले तीन वर्षों में मई से सितंबर के दौरान किसी कारखाने में चीनी का उत्पादन शून्य था, तालिका 1 के अधिसूचना संख्या- 132 के संदर्भ में मई से सितंबर 1982 की अवधि के लिए पूरे उत्पादन के लिए उत्पाद शुल्क में छुट का हकदार होगा। यह भी विवाद में नहीं है कि यदि यह प्रतिस्थापित अधिसूचना निर्धारिती पर लागू होती है तो वह छुट का हकदार होगा । विवाद यह उठाया गया है कि बाद की अधिसूचना पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं है, इसलिए 11 जून, 1982 से पहले की अवधि इसमें आच्छादित नहीं होगी और चूँकि प्रासंगिक तारीख पर अधिसूचना संख्या- 132 के तहत निर्धारिती द्वारा शुल्क देय था जो कि वास्तव में भुगतान किया गया था और छुट के लिए पात्र नहीं होगा ।

यह भी विवाद में नहीं है कि चीनी की मात्रा जिसके संबंध में कर निर्धारण समाहर्ता द्वारा अपीलकर्ता को छूट देने से इंकार किया गया था, उस अवधि के लिए चीनी का उत्पादन औसत चीनी उत्पादन से अधिक था। जिस अवधि के बारे में हम चिंतित हैं वह 1 मई से शुरू होकर 11 जून, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि है। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने केन्द्रीय उत्पाद नियमावली के नियम 9ए के मद्देनजर अपीलकर्ता को राहत देने से इंकार कर दिया। इसमें कहा गया है कि शुल्क की दर वह होगी जो उपभोग के लिए उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु की निकासी तारीख पर देय होगी। राजस्व ने निर्धारिती को 11 जून, 1982 की अवधि के लिए राहत प्रदान की, जब अधिसूचना सं- 192 लागू हुई थी लेकिन पूर्ववर्ती अवधि के लिए खारिज कर दिया गया था, जिस स्थिति और व्याख्या को देखते हुए उन्होंने उपरोक्त के रूप में आवेदन किया था। निर्धारिती के लिए संपूर्ण अतिरिक्त औसत उत्पादन के लिए छूट देने के लिए वही अधिसूचना संख्या- 192 दिनांकित 11 जून 1982 अभिलेख है जो इस अधिसूचना संख्या 192 के लागू होने से एक पहले की तारीख है। यदि निर्धारिती कोई और योग्यता प्राप्त करता है तो इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह कहा गया है कि न्यायाधिकरण ने मंजूरी के संबंध में नियम 9ए पर गलत तरीके से जोर दिया है क्योंकि छूट अधिसूचना के तहत उत्पादन पर जोर दिया गया है।

निर्धारिती के विद्वान वकील ने [1993] पूरक 3 एससीसी 69 केन्द्रीय उत्पाद समाहर्ता और अन्य बनाम नियोनी चीनी कारखाना और अन्य के मामले को संदर्भित करते हुए कहा कि अधिसूचना की व्याख्या करते समय अंतर्निहित विषयवस्तु और अधिसूचना के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी तरह के उद्देश्य के लिए उन्होंने [1968] 3 एस. सी. आर. 21 साउतु बिहार शुगर मिल्स लिमिटेड आदि बनाम भारत संघ और अन्य का संदर्भ दिया। (पैरा 12)। उन्होंने (1990) (47) ई. एल. टी. 500 (एस. सी.) यू. ओ. आई. बनाम वुड पेपर्स लिमिटेड

का भी उल्लेख किया। कि एक छूट अधिसूचना की व्याख्या उदारतापूर्वक होनी चाहिए। हम पाते हैं कि इसे ध्यान में रखते हुए, उत्पाद शुल्क की छूट देने वाली अधिसूचना का उद्देश्य उस अवधि के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना था जिसे चीनी वर्ष में चीनी उत्पादन की बहुत कम अवधि के रूप में जाना जाता है।

इससे पहले कि हम अधिसूचनाओं की जांच करने के लिए आगे बढ़ें, व्याख्यायित करने का कानून तय हो चुका है। जब तक कि अधिनियम, नियमावली या अधिसूचना में इसके विपरीत कुछ भी नहीं है। यदि दो संभावित व्याख्याएँ हैं, तो यह वह व्याख्या है जो यह बताता है कि विषयवस्तु और उद्देश्य स्वीकृत होनी चाहिए। इस अधिसूचना का उद्देश्य उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान करना है जो एक कारखाने को कम अवधि के दौरान चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए अब हम दोनों अधिसूचनाओं की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एकमात्र सवाल यह है कि क्या अधिसूचना 192 दिनांक 11.6.1982 के तहत लाभ केवल उस तारीख से समझा जाना है जिस दिन यह अधिसूचना लागू हुई थी या उस तारीख से पहले की पूरी अवधि के लिए जो अधिसूचना संख्या 132 के तहत प्रदान की गई है। हम महत्वपूर्ण रूप से पाते हैं कि दूसरी अधिसूचना में उपयोग की जाने वाली भाषा "पैरा 4 के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा"। यह महत्वपूर्ण है कि 11 जून, 1982 को इस पैराग्राफ 4 को प्रतिस्थापित करते हुए, यह इस अधिसूचना की तारीख से पहले की अवधि के लिए मई से छूट प्रदान करना स्वीकार करता है। इसलिए यह अधिसूचना स्पष्ट रूप से लाभ प्रदान करने का संकेत देती है जो पहली अधिसूचना No.132 द्वारा आच्छादित है। यदि राजस्व द्वारा मांगी गई व्याख्या को स्वीकार करना है तो पूर्ववर्ती अवधि को बाहर करना होगा। प्रतिस्थापित पैरा 4 में दो भाग हैं, पहला 'जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन शून्य था' और दूसरा भाग, 'मई से सितंबर 1982 के दौरान पूरे उत्पादन को छूट दी जाएगी।'

अपीलार्थी का मामला दोनों भागों के अंतर्गत आता है। पिछले तीन वर्षों में इसका उत्पादन शून्य था और अधिसूचना 132 को प्रतिस्थापित पैरा 4 के साथ पढे जाने पर इसके संदर्भ में, दूसरे भाग के संदर्भ में मई से सितंबर, 1982 के दौरान उत्पादित पूरी चीनी को छूट दी जाएगी। इस प्रकार राजस्व के लिए व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अधिसूचना के मूल उद्देश्य को विफल करता है।

राजस्व का अगला निवेदन यह है कि कम से कम वे निर्धारिती जिन्होंने उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया है, जैसा कि अपीलार्थी ने किया है, वह संशोधित अधिसूचना के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता है। हम इस निवेदन में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं। जब अधिसूचना के द्वारा ऐसे कारखानों को छूट दी जो औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन करते हैं और ऐसे निर्धारिती यदि किसी कारणवश ऐसी छूट के हकदार हैं तो इसे केवल इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता है कि ऐसे कारखाने ने पहले ही विचाराधीन अवधि के लिए शुल्क का भुगतान कर दिया है। भले ही शुल्क का भुगतान कानून की अज्ञानता में या किसी कारणवश किया जाता है, अगर बाद के कानून द्वारा या वैध अधिसूचना द्वारा शुल्क का भुगतान करने की बाध्यता वापस ले ली गई है, इससे इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह पहले ही शुल्क का भुगतान कर चुका है। यदि भुगतान किया गया शुल्क देय नहीं दिखाया जाता है या छूट का हकदार है, तो राजस्व को निर्धारिती को ऐसी राशि वापस करनी होगी, समायोजित करनी होगी या जमा करनी होगी, चाहे जिस प्रकार से हो।

इसलिए ऊपर दर्ज कारणों से हम यह निष्कर्ष देखते हैं कि वर्तमान अपील में योग्यता है जिसकी तदनुसार अनुमति दी जाती है। न्यायाधिकरण के 29 अक्टूबर, 1985 के विवादित आदेशों को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और हम मानते हैं कि अपीलकर्ता 11 जून, 1982 की प्रतिस्थापित अधिसूचना No.193/82 के तहत 1 मई से 11 जून, 1982 तक की

अवधि के लिए भी छूट का हकदार है। तथापि, यदि राशि पहले ही अपीलार्थी को जमा कर दी गई है तो इसे वापस नहीं लिया जाएगा, यदि नहीं, तो उसमें जमा किया जाएगा।

लागत के साथ अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील की अनुमति दी गई।

उपेन्द्र नारायण सिंह